तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2025	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण दावा पर सुना गया। वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 795 बाकै ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर की पश्चिमी मेढ से लगी प्रतिवादीण की आराजी खसरा नम्बर 796 के जरिये प्रतिवादीगण उक्त मेढ को ध्वस्त करते हुए विवादित आराजी के अन्दर पिलर गाढकर तार फेसिंग कर रहे है। और मना करने पर झगडा करने पर उतारू हो गये है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत नहीं करते हुए, कथन किया कि उभयपक्ष के मध्य विवादित आराजीयात के सीमाओ का विवाद है। इसलिए दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके की पैमाईश करवाकर निशानात लगवाये जाने का निवेदन किया है। वकील वादीगण ने भी पैमाईश हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष के कथनों का मनन किया मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। उभयपक्ष की उपस्थिति में पैमाईश हेतु उभयपक्ष सहमत है। इसलिए तहसीलदार धौलपुर को उभयपक्ष की उपस्थिति में पैमाईश किये जाने व प्रतिवादीगण को वादी की विवादित आराजी में नहीं मजाहमत व मदाखलत ना करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायालय उचित समझती है। अतः आदेश है कि दावा वादीगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाह वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 795 बाकै ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर में किसी भी प्रकार का मजाहमत व मदाखलत ना करें। तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 795 बाकै ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर व उसकी पश्चिम दिशा में लगी आराजी खसरा नम्बर 796 के उभयपक्ष की उपस्थिति में पैमाईश कर निशानात लगाकर उक्त आराजीयात के सीमांकन की कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज०)	